न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04 / 2026	03.02.2026	19.5.2026

1. पप्पू उर्फ रामकैलाश पुत्र नथुआ, कुम्हार निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी
2. नरेश पुत्र बजरंगा, कुम्हार निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी ---प्रार्थीगण

बनाम

सरकार लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 298 रकबा 1 बीघा ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित रही है। इस भूमि का साबिक रिकॉर्ड संवत 2006 से 2009 मे प्राथ्र्ज्ञी के पिता नथुआ पुत्र नानगा के नाम दर्ज रहा है। उसकी मृत्यु के पश्चात भूमि का इन्द्राज प्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई बजरंगा, सियाराम के नाम हो गया। खातेदारी का नामान्तकरण 286 दिनांक 24.4.1976 मे हो गया है। भूप्रबन्ध के दौरान प्रार्थीगण की भूमि साबिक ख0न0 298 रकबा 1 बीघा का साबिक ख0न0 298 से बने हाल खसरा नम्बर 1854, 1857, 1859, 1860 मे शामिल करते हुए भूमि की खातेदारी दर्ज कर दी। जिसका इन्द्राज संवत 2070–73 की जमाबंदी मे दर्ज रहा परन्तु तहसील कार्यालय से संवत 2070–73 के बाद बनी जमाबंदियों मे बिना किसी आदेश के गैर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी आदेश के गैरखातेदार दर्ज करने का कोई अधिकारी प्राप्त नही था। प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। खातेदार बजरंगा की मृत्यु दिनांक 14.12.2004 को एवं खातेदार सियाराम की मृत्यु दिनांक 16.7.1990 को हो चुकी है प्रार्थीगण उनके वारिसान एवं उत्तराधिकारीगण है। प्रार्थीगण को उकत भूमि से 1 बीघा अर्थात 25 एयर भूमि का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किया जाकर दुरूस्ती की जानी आवश्यक है। प्रार्थी संख्या 1 को पप्पू के नाम से भी जाना जाता है परन्तु दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम रामकैलाश दर्ज है इसलिए पप्पू उर्फ रामकैलाश दर्ज किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हाल जमाबंदी एवं राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र बजरंगा, फोटोकॉपी आधार कार्ड नरेश कुमार, नकल नामा0 संख्या 286, नकल खसरा पत्रक भूप्रबन्ध विभाग, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या नया 730 ग्राम चूली, नकल जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम चूली संवत 2030–33, 2026–28, प्रस्तुत किये है। इनके अलावा प्रार्थीगण स्वयं के का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/26/817 दिनांक 24.02.2026 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का चूली की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करने हुए प्रार्थी का नाम शुद्ध करने का एवं प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि वर्तमान जमबांदी के आधार पर प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 730 किता 4 रकबा 2.26 है0 संवत 2070–73 मे खातेदार पप्पू पुत्र नथुआ हि0 20/507 जाति कुम्हार, बजरंग पुत्र नथुआ हि0 20/807 जाति कुम्हार, सियाराम पुत्र नथुआ हि0 20/807 जाति कुम्हार गैर खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरान को पूर्व नामान्तकरण संख्या 286 से प्रार्थीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी मे देना पाया गया है। संवत 2070–73 की जमाबंदी के खाता संख्या 730 पर दर्ज सभीप्रार्थीगण की भूमि दिनांक 30.10.2013 मुताबिक जमाबंदी क आधार पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2066 से 2069 मे खाता संख्या 675 मे उक्त प्रार्थीगण के नाम मुताबिक जमाबंदी 1 बीघा भूमि खातेदार होना दर्ज रिकॉर्ड है। सेग्रीगेशन (ऑनलाईन) के समय प्रार्थीगण को खातेदार से (सहवन से) गैरखातेदार दर्ज कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

गया था। उक्त प्रार्थीगण को मुताबिक रिकॉर्ड सही किया जाना उचित है। उक्त खाते मे प्रार्थी पप्पू पुत्र नथुआ की प्रविष्ठि रिकॉर्ड मे जो बोलता नाम था उससे दर्ज हो गई थी। वर्तमान परिचय पत्र एवं आधार कार्ड के आधर पर उक्त प्रार्थी गा सही नाम रामकैलाश पुत्र नथुआ कुम्हार है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, प्रार्थीगण से प्राप्त दस्तावेजो के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम चूली मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र नथुआ के स्थान पर रामकैलाश उर्फ पप्पू पुत्र नथुआ एवं प्रार्थीगण को गैरखातेदार से खातेदार शुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 730 ग्राम चूली मे दर्ज खातेदार पप्पू पुत्र नथुआ हि0 20/807 जाति कुम्हार सा. देह गैर खातेदार, बजरंग पुत्र नथुआ हि0 20/807 जाति कुम्हार सा. देह गैर खातेदार को पप्पू उर्फ रामकैलाश पुत्र नथुआ हि0 20/807 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार एवं बजरंग पुत्र नथुआ हि0 20/807 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-5-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)